

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 25/2017

अपीलार्थी—

हरलाल पुत्र नीम्बराज

जाति महेश्वरी निवासी सरूपे का

तला तहसील चौहटन जिला

बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता—

राजस्थान सरकार

जरिये जिला रसद अधिकारी,

बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आव यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरुद्ध निर्णय दिनांक 22.05.2017 जो विभागीय प्रकरण सं. 29/2017 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-


1. श्री सम्पतराज बोथरा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।



आदेश

दिनांक : 04/02/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 29/2017 सरकार बनाम हरलाल मे पारित निर्णय दिनांक 22.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।


जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलांत हरलाल/नीम्बराज, उचित मूल्य दुकानदार सरूपे का तला, तहसील चौहटन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री वितरण की शिकायत की जांच हेतु प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दिनांक 01.09.2016 से 04.02.2017 तक उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु कुल 5760 लीटर केरोसीन आपूर्ति किया

गया। वक्त जांच जक पोश मशीन एफपीएस कोड 13226 द्वारा इस अवधि में कुल 4025.70 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओं में वितरण किया गया, शेष स्टॉक 1734 लीटर केरोसीन स्टॉक में रहता है। वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन में 1060.30 लीटर केरोसीन पाया गया तथा 674 लीटर केरोसीन कम पाया गया। इस प्रकार केरोसीन के स्टॉक में गंभीर अनियमितताओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की भांति संख्या 11, 14 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलांत का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि रूपये 1000/- जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांत ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अधिलोकन किया।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलांत के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलांत के नाम ग्राम सरूपें का तला हेतु जारी उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोंडेंट जिला रसद अधिकारी द्वारा एकपक्षीय जांच कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किये ही निरस्त कर दिया गया है जो एक गंभीर त्रुटि है। अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार उचित मूल्य दुकानदार के बतौर उचित मूल्य की सामग्री का वितरण किया गया है जिसका स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर इत्यादि पूर्ण है, वितरण का कार्य पोश मशीन द्वारा किया गया है। अपीलार्थी के विरुद्ध जिस आक्षेप के आधार पर कम पाये गये केरोसीन के



(Handwritten signature)
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना चौहटन में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज की गई है उस माल की बरामदगी अपीलार्थी से नहीं हुई थी न ही उक्त माल अपीलार्थी की दुकान से गया बल्कि राजनैतिक रंजिश के लिए अपीलार्थी को झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद प्रवृत्त निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण कर फर्द बनाई जिसमें उल्लेखित है कि मौके पर केरोसीन, गेहूँ व शक्कर का स्टॉक सही पाया गया था। निरीक्षण के समय पोश मशीन एवं स्टॉक रजिस्टर की जांच की गई तो स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई थी। उसके बाद जिला रसद अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर पुनः जांच की गई तथा जांच अनुसार प्रत्यक्ष रूप से आक्षेपित अपराध का संबंध अपीलार्थी से होना प्रतीत नहीं होने के बावजूद अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो कानूनन गलत है। अपीलार्थी के विरुद्ध किसी भी उपभोक्ता द्वारा कभी शिकायत नहीं की गई। रेस्पोंडेंट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में उल्लेखित आरोप के संबंध में बिना जांच किये एक पक्षीय विवेचन के आधार पर पारित किया गया है वह गलत है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय, आरबीट्रेट्री एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है जो निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

5.

इसके जवाब में रेस्पोंडेंट के पैरोकार का यह तर्क है कि अपीलांत के प्राधिकार के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान को 1 सितम्बर 2016 से 04 फरवरी 2017 तक आवंटित केरोसीन के कुल प्राप्त, वितरण एवं शेष के मिलाने में 674 लीटर केरोसीन कम पाया गया। इस प्रकार प्राप्त वितरण एवं शेष में 674 लीटर केरोसीन कम पाये जाने से गबन जैसी गम्भीर अनियमितताओं के लिये राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 11, 14 व 18 का उल्लंघन मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांत की अपील खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट हरलाल/नीम्बराज, उचित मूल्य दुकानदार सरूपे का तला को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री का प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा निरीक्षण के दौरान केरोसीन प्राप्त, वितरण एवं शेष का भौतिक सत्यापन किये जाने पर 674 लीटर कम पाया गया। इस प्रकार केरोसीन का गबन करने जैसी गंभीर अनियमितताओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 14 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए उसके विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि रूपये 1000/- जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी को नोटिस जारी कर जवाब हेतु तलब किये जाने पर दिनांक 04.05.2017 को उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा गया है जो दिया जाना आदेशिका में उल्लेखित है इसके पश्चात अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि जिस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप निर्धारित किये गये हैं उस प्रकरण में माल की बरामदगी अपीलार्थी से नहीं हुई है तथा न ही वह माल अपीलार्थी की दुकान से गया है। पुलिस थाना चौहटन में प्रकरण सं. 08/2017 अपीलार्थी के विरुद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुआ है इसमें अनुसंधान पश्चात पुलिस द्वारा क्या नतीजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, इसका अपीलाधीन आदेश में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलार्थी का यह भी अभिकथन है कि सितम्बर 2016



Handwritten signature
जिला कलक्टर
बाड़मेर

से उचित मूल्य दुकान से सम्पूर्ण करोसीन का वितरण पोश मशीन से किया गया है तथा वक्त निरीक्षण भी पोश मशीन में दर्ज स्टॉक अनुसार ही भौतिक सत्यापन में मौके पर करोसीन पर्याप्त मात्रा में पाया गया है। इसके बावजूद भी पुराने वितरण रजिस्टर से किये गये वितरण का कोई आकलन एवं जांच नहीं किया गया एवं प्राप्ति का सकल योग मिलाकर पोश मशीन से वितरण को बाद देते हुए शेष ज्ञात किया है जो अपूर्ण जांच एवं एकपक्षीय कार्यवाही सम्पन्न की जाना प्रतीत होती है। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी के द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान से उचित मूल्य सामग्री के वितरण में ग्रामवासियों की ओर से कोई शिकायत नहीं थी तथा रेकॉर्ड का संधारण भी पूर्ण कर लिया गया था इसके बावजूद भी अधिनस्थ अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट को ही आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। राशन सामग्री वितरण रजिस्टर एवं पोश मशीन के दर्ज शेष में कोई भिन्नता नहीं आई है फिर भी यदि पुराने स्टॉक से मिलान किया जाना था तो मैनुअल वितरण रजिस्टर से उसका आकलन करते हुए जांच कार्यवाही सम्पन्न की जानी थी। ऐसे में अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के अपीलाधीन आदेश से पूर्व उसे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान कर परिस्थितियों की वास्तविकता की जांच कराये जाने एवं गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण में अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर आदेश पारित करने में शीघ्रता की गई है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 29/2017 में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि



44
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

रसद अपील/25/2017/हरलाल बनाम जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

आवश्यक जांच एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निस्तारण करें।

आदेश आज दिनांक 04.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(हिमांशु गुप्ता)

जिला कलक्टर बाड़मेर
बाड़मेर